

Estt. Srl. No. 165/2025 RBE No-110/2025

EAST COAST RAILWAY

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/ Office of the Principal Chief Personnel Officer रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर - 751017 Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751017

ECoR/Pers/R/Railway Accommodation

Date: 29.10.2025

ALL PHODs/CHODs, DRMs/CWM/CAO & CPM, East Coast Railway, Bhubaneswar.

Sub: Retention of Railway accommodation by Railway officers/staff on deputation to DFCCIL – reg.

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड पत्र सं. E(G) 2008 QR 1-15 (PSUs), दिनांक 23.10.2025 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of Railway Board's Letter No. E(G) 2008 QR 1-15 (PSUs), dated 23.10.2025 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

(Subash Chandra Hota)
Assistant Personnel Officer(HQ-I)
for Principal Chief Personnel Officer

Copy to:-

- 1. Secy. to GM & AGM,
- 2. Chairman-RRB & RRC-BBS,
- 3. Dy.CPOs /Sr.DPOs, DPOs/SPOs, WPO/APOs of Personnel Department,
- 4. General Secretary's- ECoRSC & ECoRSU.

for Principal Chief Personnel Officer



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD

11/15



No. E(G) 2008 QR 1-15 (PSUs)

New Delhi, dated 2.3.10.2025

The General Managers/Director Generals, All Indian Railways/PUs/RDSO, Lucknow, MD/DFCCIL, New Delhi (As per Standard Mailing list)

Sub: Retention of Railway accommodation by Railway officers/staff on deputation to DFCCIL – reg.

Attention is invited to Board's letter of even number dated 10.05.2024 whereby Railway officers/staff on deputation to DFCCIL have been permitted to retain their Railway accommodation at previous place of posting up to 30.06.2025.

- 2. Now, on consideration of a request received from DFCCIL and in exercise of the powers vested in it to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees in all or any of the provisions regarding house allotment/retention, the Full Board have decided that Railway officers/staff on deputation to DFCCIL may be permitted to retain their Railway accommodation at previous place of posting for a further period of 01 year beyond 30.06.2025 i.e. up to 30.06.2026 subject to the conditions stipulated in Board's letter of even no. dated 10.05.2024.
- 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
- 4. Please acknowledge receipt.

(M. P. Meena)

Dy. Director Estt.(Genl)III

Railway Board

No. E(G) 2008 QR 1-15 (PSUs)

New Delhi, dated 23.10.2025

- 1. PFA, all Indian Railways and Production Units.
- PED (Finance), RDSO, Lucknow.
- Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance/Railway Board

Contd....2/

No. E(G) 2008 QR 1-15 (PSUs)

New Delhi, dated 23 .10.2025

Copy to:

- 1. Director General, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
- 2. The Director Generals, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik, IRIMEE/Jamaplur, IRISET/IRIFM/ Secunderabad, IRITM/Lucknow, IRIDM/Bangalore & JRRPF Academy /Lucknow.

90-

(M. P. Meena) Dy. Director Estt.(Genl)III Railway Board

No. E(G) 2008 QR 1-15 (PSUs)

New Delhi, dated 23.10.2025

- 1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
- 2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 3. The Secretary General, IRPOF, Rail Bhawan, New Delhi.
- 4. All members of the National Council/Department Council and Secretary, Staff Side, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
- 5. The Secretary General, FROA, Rail Bhawan, New Delhi.
- 6. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
- The President, RBSS Group 'B' Officers' Association.
- 8. The President, Indian Railways Group 'B' Officers' Association.
- 9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- 10 The Secretary, Railway Board Non-Ministerial Staff Association.
- 11. The Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.

Ohe

For Principal Executive Director(IR)

Copy to: Sr.PPSs/PSs/PSs/PAs to:-

MR, MoSR(S), MoSR(R), CRB&CEO, MF, M(Infra) M(TRS), M(O&BD), DG(HR), DG(Safety), DG(RHS), DG(RPF), Secretary/Railway Board, All AMs/PEDs/EDs/JSs, IG/RPF(Hqs), Railway Board.

F(X)I, F(X)II, G(Acc.), LM(B), Sec.(E), Sec(ABE), E(NG)I, E(NG)II, E(Rep.)I, II, III, E(O)II, E(LR)I, II, III & LML-I, Branches of Railway Board.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं. ई(जी) 2008 क्यूआर 1-15 (पीएसयूस)

नई दिल्ली, दिनांक: 23.10.2025

महाप्रबंधक/महानिदेशक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां/अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ, प्रबंध निदेशक/डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली (मानक सूची के अनुसार)

विषय: डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेलवे आवास के प्रतिधारण के संबंध में।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 10.05.2024 के समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 30.06.2025 तक अपने पूर्व तैनाती स्थान पर रेलवे आवास को प्रतिधारित करने की अनुमति दी गई है।

- 2. अब, डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए और कर्मचारियों के एक वर्ग/समूह के लिए आवास आवंटन/प्रतिधारण से संबंधित सभी या किसी भी प्रावधान में जन हित में उचित रियायत देने हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्ण बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को 30.06.2025 के बाद 01 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 30.06.2026 तक बोर्ड के दिनांक 10.05.2024 के समसंख्यक पत्र में अनुबद्ध शर्तों के अध्यधीन अपने पूर्व तैनाती स्थान पर रेलवे आवास प्रतिधारण करने की अनुमित दी जाए।
- 3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जॉरी किया जा रहा है।
- 4. कृपया पावती भेजें।

200

(एम.पी. मीना) उपनिदेशक स्थापना (सामान्य)॥ रेलवे बोर्ड नई दिल्ली, दिनांक:23.10.2025

सं. ई(जी) 2008 क्यूआर 1-15 (पीएसयूस)

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

2. प्रधान कार्यपालक निदेशक (वित्त), अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ।

3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

जारी.....२/-

सं. ई(जी) 2008 क्यूआर 1-15 (पीएसयूस)

नई दिल्ली, दिनांक: 23.10.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।

2. महानिदेशक, इरिसेन/पुणे, इरीन/नासिक, इरिमी/जमालपुर, इरीसेट/आईआरआईएफएम /सिकंदराबाद, इरिटएम/लखनऊ, इरीडीएम/बेंगलूरु और जेआरआरपीएफ अकादमी/लखनऊ।

(एम.पी. मीना) उपनिदेशक स्थापना (सामान्य)॥ रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी) 2008 क्युआर 1-15 (पीएसयूस)

नई दिल्ली, दिनांक:23.10.2025

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।

2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरीजशाहरोड, नई दिल्ली।

5. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, रेल भवन, नई दिल्ली।

- 6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
 7. अध्यक्ष, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
 8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवेज़ ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
 9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन।

10. सचिवं, रेलवे बोर्ड नॉन-मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन।

11. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001.

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)

प्रतिलिपि: वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक:-

रेल मंत्री, रेल राज्यमंत्री (एस), रेल राज्यमंत्री (आर), अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य (अवसंरचना), सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक), सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), महानिदेशक (मानव संसाधन), महानिदेशक (संरक्षा), महनिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल), सचिव/रेलवे बोर्ड, सभी अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक / संयक्त सचिव , महानिरीक्षक / रेल सुरक्षा बल (मुख्यालय) , रेलवे बोर्ड।

रेलवे बोर्ड की एफ (एक्स) 1, एफ (एक्स) 11, सामान्य (आवास), एलएम (बी), सिक. (ई), सिक. (एबीई), $\xi($ एनजी) $_{1}$, $\xi($ एनजी) $_{11}$, $\xi($ रेप.) $_{1}$, $_{11}$, $_{11}$, $\xi($ ओ) $_{11}$, $\xi($ एलआर) $_{1}$, II, III और एलएमएल-I शाखाएं।